मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ–25–17/2011/10–3 भोपाल, दिनांकः 6- फरवरी, 2014

प्रति,

1. **समस्त वन मंडलाधिकारी, सामान्य/ उत्पादन (पदाभिहित अधिकारी)**
2. **समस्त मुख्य वन संरक्षक, सामान्य वृत्त (प्रथम अपीलीय अधिकारी)**
3. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन (द्वितीय अपीलीय अधिकारी)**

विषयः–सेवा क्रमांक 10.4 – मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान के संबंध में निर्देश।

संदर्भः–म.प्र. शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2–13/2012/61/लो.से.प्र./पी.एस.जी.–10 दिनांक 10.04.2013

——:0:——

1. **सेवा का उद्देश्य** – इस सेवा का उददेश्य स्वयं की भूमि (मालिक मकबूजा) से प्राप्त काष्ठ के मूल्य का भुगतान भूमि स्वामी को समय–सीमा में किया जाना हैं।

2. **पदाभिहित अधिकारी एवं समय–सीमाः–** इस सेवा के लिये वन मंडल अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में पदाभिहित अधिकारी होंगें एवं इसके लिये समय–सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है –

(i.) शासकीय दर पर काष्ठ विक्रय का विकल्प चुने जाने की स्थिति में डिपो में काष्ठ प्राप्त होने की दिनांक से 45 कार्य दिवस।

(ii.) पृथक लॉट बनाकर विक्रय का विकल्प चुने जाने की स्थिति में, विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली होने के दिनांक से 30 कार्य दिवस।

3. **आवेदन का प्रारूप** – भूमि स्वामी को अपनी भूमि से संबंधित काष्ठ विक्रय हेतु दो विकल्प हैं–

विकल्प 1 – वन विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर विक्रय

(क) आवेदक अपने भू–स्वामित्व की काष्ठ को वन विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर वन विभाग को विक्रय कर सकता है। इसके लिए आवेदक को डिपो में काष्ठ पहुंचने के तत्काल बाद **परिशिष्ट–1** में आवेदन करना होगा। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रिंटेड या सादे कागज पर आवेदन दिया जा सकता है।

विकल्प 2 – पृथक लॉट बनवाकर विक्रय

(ख) आवेदक अपने भू–स्वामित्व की काष्ठ को वन विभाग के डिपो में अपनी काष्ठ का पृथक से लॉट बनवाकर विक्रय कर सकता है। पृथक से लॉट बनवाकर विक्रय का विकल्प चुनने पर आवेदक को **परिशिष्ट–2** में आवेदन करना होगा। आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रिंटेड या सादे कागज पर आवेदन दिया जा सकता है। आवेदक द्वारा आवेदन के साथ निम्न में से कोई एक विकल्प दिया जाएगा :–

(अ) अगर भूमिस्वामी अपने काष्ठ के लॉट का अवरोध मूल्य विभागीय प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित करना चाहता है तो उसे वनमंडल अधिकारी **के साथ अनुबंध पत्र (अ) में** अनुबंध निष्पादित करना होगा।

(ब) अगर भूमिस्वामी काष्ठ के लॉट का अवरोध मूल्य स्वयं निर्धारित करना चाहता है तो उसे वनमंडल अधिकारी के साथ **अनुबंध पत्र (ब)** में अनुबंध निष्पादित करना होगा।

4. **पात्रता की शर्तें–** मालिक–मकबूजा प्रकरणों में भुगतान के लिये आवश्यक शर्ते निम्नानुसार हैं–

(i.) आवेदक की काष्ठ शासकीय काष्ठागार में आमद हो चुका हो।

[redacted] पृथक लॉट बनाकर विक्रय के विकल्प की स्थिति में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली चुकी हो।

[redacted] दस्तावेज –

(i) डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के पश्चात जारी डिपो आमद रसीद।

(ii) पृथक लाट बनाकर विक्रय की स्थिति में अनुबंध पत्र **(अ)** अथवा **(ब)**।

(iii.) यदि आवेदक म.प्र. आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 में वर्णित आदिम जनजाति का है तो काष्ठ स्वामी एवं कलेक्टर के संयुक्त बैंक खाते की पास बुक की प्रति।

(iv.) संयुक्त भू–स्वामी खाता होने की स्थिति में समस्त भू–स्वामियों की सहमति तथा आवेदक भूमि स्वामी को अधिकृत किये जाने बाबत पत्र।

6. **पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–**

6.1 सेवा प्राप्त करने के लिये कंडिका 3 में बताये अनुसार संलग्न प्रारूप एवं कंडिका–5 में दर्शाये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी (वन मंडल अधिकारी) के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

6.2 आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 5 (1) के अंतर्गत **"परिशिष्ट 3"** में दी जावेगी।

6.3 पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय–सीमा का उल्लेख किया जावेगा और यदि आवेदन अपूर्ण हैं तो समय–सीमा का उल्लेख नहीं किया जायेगा परंतु जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं उनका उल्लेख अभिस्वीकृति में किया जावेगा।

6.4 आवेदन लेते समय आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के मोबाईल नम्बर का उल्लेख भी यथासंभव कराया जावे ताकि आवश्यकतानुसार एसएमएस अलर्ट किया जा सके।

6.5 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम, 2010 के नियम–16 में निर्धारित पंजी (संलग्न **परिशिष्ट–4)** में किया जायेगा।

6.6 संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र परंतु निर्धारित समय–सीमा में आवेदन का निराकरण किया जावेगा तथा आवेदक को सेवा प्रदाय की सूचना **परिशिष्ट–5** में दी जावेगी।

6.7 आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की स्थिति में भी आवेदक को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा – 5(2) के अंतर्गत कारण अभिलिखित करते हुये, सूचना **परिशिष्ट–6** में दी जावेगी।

7. लोक सेवा केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–

7.1 साफ्टवेयर पर ऑनलाईन आवेदन दर्ज किया जाएगा एवं साफ्टवेयर में कंडिका–5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा। दस्तावेज अपलोड करने के पूर्व उस लोक सेवा केन्द्र के ऑपरेटर द्वारा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर किया जायेगा।

आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य का मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी आवेदक के पास होने की स्थिति में आवश्यक रूप से लिया जावे।

7.3 ऑनलाईन आवेदन का प्रिन्टआउट निकालकर प्रिन्टआउट पर आवेदक के हस्ताक्षर लिए जाएंगे एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत उसके साथ संलग्न होने वाले निर्धारित दस्तावेजों को संलग्न किया जाएगा। इस तरह प्राप्त यह **हार्डकॉपी पदाभिहित अधिकारी द्वारा** माह के प्रथम सोमवार (अवकाश होने पर अगला कार्य दिवस) को विशेष वाहक के माध्यम से **प्राप्त किया जाएगा।**

7.4 ऑनलाईन आवेदन जमा होने के साथ ही साफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी। पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय–सीमा साफ्टवेयर द्वारा अंकित होगी। अपूर्ण आवेदन की स्थिति में छूट गये दस्तावेजों का उल्लेख होगा। आवेदन जमा होने के बाद पावती पर ऑपरेटर द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदक को दी जायेगी।

7.5 लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन की ऑनलाईन पावती जमा होते ही **आवेदन** संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउन्ट में ऑनलाईन उपलब्ध हो जाएगा।

7.6 पदाभिहित अधिकारी ऑनलाईन आवेदन के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र परन्तु समय सीमा में आवेदन का निराकरण करेगा।

7.7 सेवा प्रदाय की सूचना आवेदक को संलग्न **परिशिष्ट–5** में दी जाएगी, जो कि लोक सेवा केन्द्र द्वारा सॉफ्टवेयर से निकाले गये प्रिंट आउट के माध्यम से प्रदान की जावेगी।

7.8 यदि कतिपय कारणों से **मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान** दिया जाना संभव नहीं है तो ऐसे आवेदन पत्र को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने का आदेश डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा पदाभिहित अधिकारी द्वारा संलंग्नित परिशिष्ट –6 में पारित किया जावेगा, इस तरह जारी होने वाली समस्त सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोजटरी, वेबसाईट (www.mpedistrict.gov.in) पर संधारित की जायेगी। यह कार्यवाही निधारित अधिकतम समय–सीमा में ही संपादित की जाएगी।

7.9 लोक सेवा केन्द्र ऑपरेटर द्वारा सेवा प्रदाय अथवा प्रदाय न करने की सूचना संबंधी पत्र डिजीटली साईन रिपाजटरी (www.mpedistrict.gov.in) से प्रिंटआउट निकालकर दिया जायेगा एवं प्रमाण–पत्र पर नीचे लिखा सत्यापन प्रमाण–पत्र हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अंकित किया जावेगा–

"प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाईट (www.mpedistrict.gov.in) से मेरे द्वारा निकाला गया है।"

हस्ताक्षर
लोक सेवा केन्द्र संचालक

8. सेवा प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया –

8.1 आवेदक द्वारा अपना आवेदन पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में सीधे अथवा लोक सेवा केन्द्र में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

8.2 पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कंडिका–6 अनुसार एवं लोक सेवा केन्द्र में कंडिका–7 अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।

8.3 [illegible] दर पर काष्ठ विक्रय का विकल्प चुने जाने पर डिपो में काष्ठ प्राप्ति दिनांक से 45 कार्य दिवस एवं पृथक लाट का विकल्प चुने जाने पर विक्रय मूल्य वसूली होने के दिनांक से 30 कार्य दिवस के अंदर राशि का भुगतान आवेदक भूमि स्वामी को किया जाएगा।

8.4 भूमि स्वामी द्वारा पृथक लाट बनाकर काष्ठ विक्रय का विकल्प दिये जाने पर वनमंडल अधिकारी द्वारा आवेदक को नीलाम की तिथि की सूचना दी जायेगी साथ ही काष्ठ का पूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त होने पर पुनः सूचना प्रेषित की जायेगी।

8.5 भूमि स्वामी को प्राप्त होने वाली भुगतान की राशि आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते में ई–पेमेंट/डी.डी./चेक के माध्यम से जमा करा दी जायेगी।

9 **शुल्कः–** इस सेवा को प्राप्त करने के लिए कोई प्रशासनिक शुल्क देय नही है। लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर लोक सेवा केन्द्र के लिये निर्धारित आवेदन शुल्क केवल रू. 30/– जमा करना होगा।

10. आदेश/निर्देशों का निरसन/अधिकमण– मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान से संबंधित जारी परिपत्र क्र.–एफ 25–17/ 2011/ 10–3 दिनांक 24.12.11 को इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से निरस्त माना जाये।

11. अपील– आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेंगा–

1. आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर।

अथवा

2. आवेदन का निराकरण समय–सीमा में न होने पर।

अपील निम्नानुसार की जा सकेंगी–

1. **प्रथम अपील** – प्रथम अपील क्षेत्रीय वन संरक्षक को आवेदन नामंजूर होने की तारीख से अथवा निश्चित समय सीमा के अवसान होने से 30 दिन के भीतर की जा सकेगी। अपील अधिकारी 30 कार्य दिवस में अपील का निराकरण करेगें।
2. **द्वितीय अपील** – प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व द्वितीय अपील ऐसे आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी – अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन) को प्रस्तुत की जाएगी।

संलग्न – उपरोक्तानुसार 6 परिशिष्ट तथा अनुबंध (अ) तथा (ब) के प्रारूप।

(प्रशांत कुमार)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठांकन एफ–25–17/2011/10–3 भोपाल, दिनांकः 6-फरवरी, 2014

प्रतिलिपि –

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
2. मुख्य सचिव के सचिव, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल
5. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश
6. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्य प्रदेश

सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभा

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010

(सेवा क्रमांक 10.4 – भूमिस्वामी द्वारा अपनी काष्ठ का शासन द्वारा निर्धारित दर पर शासन को विक्रय करने के संबधं में वन मंडल अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप)

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
वन मंडल ....

विषय – स्वयं की काष्ठ का शासन द्वारा स्वीकृत दर पर शासन को विक्रय करने के संबधं में।

––0––

1. मैं श्री/ श्रीमती .... आत्मज/ पत्नी श्री .... भूमिस्वामी खसरा क्रमांक .... पटवारी हल्का नंबर .... ग्राम .... जिला .... अपने भूमिस्वामी खाते से प्राप्त काष्ठ की बिक्री शासन को, शासन द्वारा निर्धारित दर पर करना चाहता/ चाहती हूँ।
2. मैं डिपो में काष्ठ के पुनर्मापन एवं ग्रेडिंग से पूर्णतः संतुष्ट हूँ।
3. मैं वन विभाग द्वारा हस्तन व्यय तथा देय समस्त प्रकार के कर इत्यादि की वसूली करने हेतु पूर्ण सहमति व्यक्त करता/ करती हूँ।
4. मैं म.प्र. आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 में वर्णित आदिम जनजाति की श्रेणी में आता हूँ/ नहीं आता हूँ।
5. आवेदक का बैंक खाता नम्बर, – ....
   बैंक का नाम एवं आई.एफ.एस.सी. कोड न. ....
6. इस आवेदन के साथ विभाग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं –

   (i.) डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के पश्चात जारी डिपो आमद रसीद।

   (ii.) यदि आवेदक म.प्र. आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 में वर्णित आदिम जनजाति का है, तो काष्ठ स्वामी एवं कलेक्टर के संयुक्त बैंक खाते की पास बुक की प्रति।

   (iii.) संयुक्त भू–स्वामी खाता होने की स्थिति में समस्त भू–स्वामियों की सहमति तथा आवेदक भूमि स्वामी को अधिकृत किये जाने का वैधानिक पत्र।

स्थान –
दिनांक –
दूरभाष क्रमांक –

हस्ताक्षर आवेदक भूमिस्वामी

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010

(सेवा क्रमांक 10.4 – **भूमिस्वामी द्वारा अपनी काष्ठ का पृथक लाट लगाकर बिक्री के संबंध में वनमंडल अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप**)

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
वन मंडल ....

विषय – स्वयं की काष्ठ का पृथक लाट लगाकर बिक्री करने के संबधं में।

1. **(अ)** मैं श्री/ श्रीमती ....आत्मज/ पत्नी श्री .... भूमिस्वामी खसरा क्रमांक...................... पटवारी हल्का नंबर .... ग्राम ....जिला ...., अपने भूमिस्वामी खाते से प्राप्त काष्ठ की बिक्री शासन के काष्ठागार में पृथक लाट लगवाकर वन विभाग से विभागीय प्रक्रिया अनुसार अवरोध मूल्य निर्धारित कर विक्रय करवाना चाहता/ चाहती हूँ।

अथवा

(ब) मेरे उक्त लाट का न्यूनतम विक्रय मूल्य प्रथम नीलाम हेतु रूपये .... तथा द्वितीय नीलाम एवं आगामी नीलामों हेतु रूपये .... निर्धारित किया जाये।

2. बिन्दु क्रमांक 1 (अ) और 1(ब) के संदर्भ में शासन द्वारा निर्धारित अनुबंध पत्र प्रारूप 'अ'/'ब' में अनुबंध निष्पादित करना चाहता हूँ/ चाहती हूँ।

3. मैं शासन द्वारा नीलाम हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति/प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा/ करूंगी तथा नीलाम पद्धति से जुड़ी समस्त कार्यवाही मुझे मान्य रहेगी।

4. समस्त कर एवं व्यय की कटौतियों के उपरांत शेष बचने वाली राशि को मैं अपनी काष्ठ के शुद्ध मूल्य के रूप में प्राप्त करने मात्र का हकदार रहूँगा/ रहूँगी तथा इस बात की भी सहमति देता/ देती हूँ कि पृथक लाट बनाकर बिक्री करने की दशा में मुझे लाट की राशि का भुगतान क्रेता से विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली होने के उपरांत ही किया जावे।

5. **इस आवेदन के साथ विभाग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है :–**

   (i.) डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के पश्चात जारी डिपो आमद रसीद।

   (ii.) यदि आवेदक म.प्र. आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 में वर्णित आदिम जनजाति का है तो काष्ठ स्वामी एवं कलेक्टर के संयुक्त बैंक खाते की पास बुक की प्रति।

   (iii.) संयुक्त भू–स्वामी खाता होने की स्थिति में समस्त भू–स्वामियों की सहमति तथा आवेदक भूमि स्वामी को अधिकृत किये जाने हेतु लेख।

   (iv.) निर्धारित अनुबंध पत्र (अ)/(ब)।

हस्ताक्षर आवेदक भूमिस्वामी

स्थान –
दिनांक –
दूरभाष क्रमांक –

(सेवा क्रमांक 10.4– **भूमि स्वामी द्वारा उसकी काष्ठ का पृथक लॉट बनाकर तथा वन विभाग से विभागीय प्रक्रिया द्वारा काष्ठ विक्रय की सहमति की स्थिति में भूमिस्वामी एवं वन विभाग के मध्य काष्ठ विक्रय हेतु अनुबंध पत्र)**

//अनुबंध पत्र – (अ)//

यह अनुबंध आज दिनांक .... माह .... वर्ष .... को श्री/ श्रीमती .... आत्मज/पत्नी .... (जिसे इसके बाद "भूमिस्वामी" कहा गया है) एवं .... वनमंडल के भार साधक अधिकारी .... वनमंडल के मध्य निम्न शर्तों के अधीन निष्पादित किया गया –

i. यह कि भूमिस्वामी द्वारा, खसरा नंबर .... की अपनी निजी स्वामित्व की भूमि के वृक्षों का विदोहन सक्षम अधिकारी .... द्वारा जारी स्वीकृति क्रमांक .... दिनांक ....के अधीन किया गया है।

ii. यह कि श्री/श्रीमती ...., अपनी काष्ठ का निर्वतन, पृथक लॉट बनाकर वन विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार, विभागीय प्रक्रिया से अवरोध मूल्य निर्धारित कर विक्रय करना चाहता/ चाहती है।

iii. उपरोक्त शर्त पप के अधीन विक्रेता (भूमि स्वामी) को, विभागीय प्रक्रिया अनुसार विभाग को प्राप्त वास्तविक विक्रय मूल्य में से विक्रेता (भूमि स्वामी) द्वारा शासन को देय समस्त करों तथा प्रति घ.मी. काष्ठ पर शासन द्वारा निर्धारित हस्तन व्यय के रूप में तथा अन्य विभागीय व्यय को घटाये जाने के उपरांत शेष राशि पाने की पात्रता होगी।

iv. भूमिस्वामी द्वारा उत्पादित काष्ठ पर विक्रय नियमों के अधीन क्रेता द्वारा देय करों, (वाणिज्य कर, आयकर, वन विकास अभिकर तथा अन्य प्रकार के शासकीय करों) पर भूमिस्वामी का कोई अधिकार नहीं होगा।

v. भूमिस्वामी के काष्ठ विक्रय उपरांत क्रेता की जमा राशि में से विभाग का व्यय नियमानुसार घटाकर शेष राशि पूर्ण या अंश में (क्रेता द्वारा जमा की गई राशि की सीमा तक) भुगतान की पात्रता होगी।

vi. भूमिस्वामी की काष्ठ का विक्रय काष्ठागार में, भूमिस्वामी के जोखिम पर ही संपादित होगा। मौसम, प्राकृतिक कारण से मूल्य में गिरावट, बाजार दरों की कमी के चलते हानि का उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा।

vii. भूमिस्वामी चाहे तो वह काष्ठागार पर लाई गई काष्ठ पर स्वयं का निशान (हैमर) अंकित कर सकता है या विभाग को निर्धारित फीस जमा कर विभागीय हैमर लगवा सकता है।

viii. उपरोक्त शर्तों की सहमति के आधार पर भूमिस्वामी द्वारा निष्पादित अनुबंध पत्र मे विवाद की स्थिति में संबंधित वन वृत्त के भार साधक अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगा।

ix. संबंधित वन वृत्त के भार साधक अधिकारी के निर्णय से व्यथित व्यक्ति/ भूमिस्वामी/क्रेता, संबंधित वन मंडल/ वन वृत्त के भार साधक अधिकारी के कार्य क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायाधीश के न्यायालय में वाद लाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

आज दिनांक .... को समक्ष में उपस्थित होकर सचेत मानसिक स्थिति में अनुबंध

पत्र निम्नानुसार उपस्थित गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

अनुबंधकर्ता

हस्ताक्षर भूमिस्वामी

नाम ....

निवास का पूरा पता ....

....

....

उस ग्राम का नाम जहां प्रश्नाधीन खसरा स्थित है ....

शासन की ओर से

हस्ताक्षर

वनमंडल के भार साधक अधिकारी

....

वनमंडल ....

जिला ....

नाम गवाह 1 ....

स्थाई पता ....

....

नाम गवाह 2 ....

स्थाई पता ....

....

ix. भूमिस्वामी चाहे तो, वह काष्ठागार पर लाई गई काष्ठ पर स्वयं का निशान (हैमर) अंकित कर सकता है या विभाग को निर्धारित फीस जमा कर विभागीय हैमर लगवा सकता है।

x. उपरोक्त शर्तों की सहमति के आधार पर भूमिस्वामी द्वारा निष्पादित अनुबंध पत्र में विवाद की स्थिति में संबंधित वन वृत्त के भार साधक अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों के लिये बंधनकारी होगा।

xi. संबंधित वन वृत्त के भार साधक अधिकारी के निर्णय से व्यथित व्यक्ति/भूमिस्वामी/क्रेता, संबंधित वनमंडल/ वन वृत्त के भार साधक अधिकारी के कार्य क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायाधीश के न्यायालय में वाद लाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

आज दिनांक .... को समक्ष में उपस्थित होकर सचेत मानसिक स्थिति में अनुबंध निम्नानुसार उपस्थित गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

अनुबंधकर्ता

हस्ताक्षर भूमिस्वामी

नाम ....

निवास का पूरा पता ....

....

....

उस ग्राम का नाम जहां प्रश्नाधीन खसरा स्थित है ....

शासन की ओर से

हस्ताक्षर

वनमंडल के भार साधक अधिकारी ....

वनमंडल ....

जिला ....

गवाह 1 ....

स्थाई पता ....

....

गवाह 2 ....

स्थाई पता ....

....

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010

(सेवा क्रमांक 10.4–मालिक मकबूजा प्रकरण में भूमि स्वामी को भुगतान)

धारा 5 (1) के अंतर्गत अभिस्वीकृति का प्रारूप

1. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता (मोबाईल नं. एवं ईमेल आईडी)	–	________________ ________________ ________________
2. आवेदक का नाम एवं पता	–	________________ ________________ ________________
3. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्ति का दिनांक	–	________________
4. विकल्प जिसके लिये आवेदन दिया गया है	–	________________
5. उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं	–	________________ ________________ ________________
6. सेवा प्रदाय हेतु निश्चित की गई समय–सीमा की आखिरी तारीख	–	________________

स्थान ....

दिनांक..................

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम (मुद्रा सहित)

नोटः– आवेदन के साथ वांछित समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में इस अभिस्वीकृति के बिन्दु–6 में समय–सीमा की आखिरी तारीख दर्ज नहीं की जायेगी।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010

(सेवा क्रमांक 10.4–मालिक मकबूजा प्रकरण में भूमि स्वामी को भुगतान)

नियम 16 के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में संधारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम ....

माह .... वर्ष ....

क्रमांक	आवेदक का नाम एवं पता	सेवा जिसके लिये आवेदन दिया गया है	निश्चित की गई समय–सीमा की आखिरी तारीख	आवेदन स्वीकृत/निरस्त	पारित आदेश का क्रमांक, दिनांक एवं विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010

(सेवा क्रमांक 10.4--मालिक मकबूजा प्रकरण में भूमि स्वामी को भुगतान)

सेवा प्रदाय की सूचना का प्रारूप

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय / उत्पादन वन मंडल, ...

क्रमांक /   दिनांकः

प्रति

....

....

....

विषय :- भूमिस्वामी काष्ठ के मूल्य के भुगतान हेतु प्राप्त आवेदन पत्र।
संदर्भ :- आपका आवेदन पत्र दिनांक ....

—0—

भूमिस्वामी काष्ठ के मूल्य के भुगतान हेतु दिए गए आपके संदर्भित आवेदन पत्र के निराकरण उपरांत प्रकरण से संबंधित काष्ठ के मूल्य के भुगतान के रूप में रूपये .... का धनादेश / डी.डी. क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न प्रेषित है / राशि रू. .... आपके बैंक खाता नम्बर .... में ई–पेमेंट द्वारा जमा करा दी गई है।

(पदाभिहित अधिकारी)
वन मण्डल अधिकारी
....
(उत्पा. / सा.) वन
मण्डल
जिला, ...,
म.प्र.

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010

(सेवा क्रमांक 10.4–मालिक मकबूजा प्रकरण में भूमि स्वामी को भुगतान)

आवेदन नामंजूर होने की स्थिति में आवेदक को दी जाने वाली सूचना का प्रारूप

(धारा 5(2) के अंतर्गत)

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, ...(उत्पादन / सामान्य)

वन मण्डल जिला, ..., म.प्र.

क्रमांक / .... दिनांक : ....

प्रति,

....

....

....

विषय :– मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान
संदर्भ :– आपका आवेदन पत्र दिनांक ....

1. मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान हेतु प्राप्त आपका आवेदन पत्र विचारोपरांत निम्नलिखित कारणों से नामंजूर किया गया है :–

(i.) ....

(ii.) ....

(iii.) ....

2. यदि आप इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो श्री ...., पद .... प्रथम अपील अधिकारी .... (दूरभाष क्रमांक: ....), के समक्ष इस आदेश की दिनांक से 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते हैं।

(पदाभिहित अधिकारी)
वन मण्डल अधिकारी
....
(उत्पा. / सा.) वन
मण्डल जिला, ...
........., म.प्र.

SARWAR ALI & ASSOCIATE
ADVOCATE & TAX CONSULTANT

SARWAR ALI, ADVOCATE
CELL: 94250 36961
Email: - zakisarwar@gmail.com

OFFICE : INFRONT OF STATE BANK OF INDORE, SANCHI ROAD, RAISEN-464551 (M.P.)

प्रति,

दिनांक 01/10/2009

District Forest Officer
Divisional Forest Office (Production)
Raisen, (M.P.)- 464551

विषय – **टीडीएस** दरों में बदलाव के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तगर्त निवेदन है कि टीडीएस से सम्बन्धित प्रावधानों में 1 अक्टूबंर 2009 से महत्वपूर्ण संशोधन किये गये है। इन संशोधनों को तुलनात्मक रूप से समझाया जा रहा है–

बदलाव क्या	30 सितम्बर तक स्थिति	1 अक्टूबर 2009 या उसके बाद से स्थिति
1. कान्ट्रेक्टर पर	कान्ट्रेक्टर का टीडीएस 2% सब कान्ट्रेक्टर का टीडीएस 1% एडवरटाईजिंग के लिए 1%	कान्ट्रेक्टर एवं सब–कान्ट्रेक्टर दोनों के मामले में– व्यक्ति एवं एचयू.एफ को भुगतान करने पर 1% अन्य को भुगतान करने पर 2% ट्रांस्पोंटर के मामले में पैन नम्बर प्रस्तुत करने पर कुछ नहीं
2. किराये पर टीडीएस की दर	प्लांट मशीनरी एवं इक्यूपमेंट पर लैण्ड, बिल्डिंग या फर्नीचर जो किसी व्यक्ति या एच.यू.एफ. को किराये पर दिया गया है 15% लैण्ड, बिल्डिंग या फर्नीचर जो किसी व्यक्ति या एच.यू.एफ. के अलावा किसी ओर को किराये पर दिया गया है 20%	प्लांट, मशीनरी एवं इक्यूपमेन्ट पर 2% लैण्ड, बिल्डिंग या फर्नीचर पर सभी के लिए 10%
3. डिडक्टी का पैन नम्बर न होने पर टीडीएस	डिडक्टी का पैन नम्बर न होने पर अधिक दर से टीडीएस काटने का कोई प्रावधान नहीं था।	1 अप्रैल 2010 से डिडक्टी का पैन नम्बर न होने पर ट्रांस्पोंटर को छोड़कर अन्य मामलों में 20 प्रतिशत या अधिक दर से जो लागू हो की दर से टीडीएस काटना होगा तथा ट्रांस्पोंटर के मामले में 1 अक्टूबंर 2009 से 31 मार्च 2010 तक ऊपर दी गई दर टीडीएस काटना होगा तथा 31 मार्च 2010 के पश्चात् 20 % की दर से टीडीएस काटना होगा।
4. शिक्षा एवं उच्च शिक्षा सैस	टीडीएस पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा सैस एवं 1 प्रतिशत की दर से उच्च शिक्षा सैस काटा जाता है।	कोई शिक्षा सैस या उच्च शिक्षा सैस नहीं काटा जायेगा।
5. सरचार्ज	1. इनडिविजल, एच.यू.एफ. करदाताओं को भुगतान यदि 10 लाख रू. से अधिक है वहां सरचार्ज टैक्स की राशि का 10 प्रतिशत। 2. फर्म एवं घरेलू कम्पनी के मामले में यदि कुल भुगतान 1 करोड़ से अधिक है टैक्स का 10 प्रतिशत 3. घरेलू कम्पनी के अलावा अन्य कम्पनी के मामले में 2.5 प्रतिशत	1. घरेलू कम्पनी के अतिरिक्त अन्य कम्पनी के मामले में 1 करोड़ रू. से अधिक का भुगतान होने पर 2.5% 2. व्यक्ति, एच.यू.एफ., पार्टनरशिप फर्म एव घरेलू कम्पनी के मामले मं कुछ नहीं

अतः 1 अक्टूबंर 2009 के अनुसार नवीन दरों से ही टीडीएस की कटौती की जाए।

धन्यवाद।
दिनॉक :– 01/10/2009

भवदीय

स्थान :– रायसेन।

एडवांकेट सरवर अली